

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /निगरानी/2013 धार R-4082/113


1. कृष्ण सिंह द्वारा प्रस्तुत
आज दि. 13-11-13 को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
13-11-13

अजय शुक्ला पुत्र श्री रविशंकर शुक्ला (ब्रह्माण)
निवासी-टी.व्ही.टावर रोड, जिला शिवपुरी एवं द्वारा
गेंदालाल शुक्ला, बड़नगर, जिला उज्जैन
.....आवेदक / निगरानीकर्ता

बनाम

दरियाववाई वेवा पीराजी काछी, निवासी-ग्राम इटावा
तहसील, बदनावर जिला धार, (म.प्र.) हाल मुकाम
ग्राम नागदा, तहसील बदनावर, जिला धार
.....अनावेदक



निगरानी आवेदन पत्र धारा 50 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता
1959 के अंतर्गत प्रस्तुत विरुद्ध आदेश तहसील भदनावर, धार,
के प्रकरण क्रमांक 95/अ-6/2011-12 आदेश दिनांक 30.09.
2013 को पारित।

श्रीमानजी

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

यहकि, विवादित आराजी अनावेदिका के पति के हिस्से से
सिविल न्यायालय द्वारा अनावेदिका को प्राप्त हुई। सिविल न्यायालय

द्वारा अनावेदिका के नाम राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज होकर के आदेश

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4082-दो/13

जिला धार


स्थान तथा दिनांक


कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

9-2-2017

आवेदक की ओर से श्री कुंवर सिंह कुशवाह, अभिभाषक उपस्थित । अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं, अतः उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है । आवेदक के विद्वान अभिभाषक व्यवहार न्यायालय के आदेश दिनांक 2-12-2015 की प्रति प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा उनके पक्ष में निर्णय पारित किया गया है । अतः व्यवहार न्यायालय के उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार को निर्देश दिये जाते हैं कि वे व्यवहार न्यायालय के आदेश के प्रकाश में प्रकरण का अंतिम निराकरण करें ।




(मनोज गोयल)
अध्यक्ष